<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>अपील/सीलिंग/6091/2003/हनुमानगढ</u>

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) रावतसर

अपीलार्थी

बनाम

1 किस्तूरचन्द पु.त्र हरसुखराम (मृतक) के वारिसान
1/1 जगदीश पुत्र किस्तूरचन्द
1/2 मांगीलाल पुत्र किस्तूरचन्द
1/3 सुभाषचन्द पुत्र किस्तूरचन्द
1/4 पुष्पा पुत्री किस्तूरचन्द
1/5 जैता पुत्री किस्तूरचन्द
1/6 देवा पुत्री किस्तूरचन्द
1/7 कृष्णा पुत्री किस्तूरचन्द
2 रामजीलाल पुत्र हरसुखराम (फौत) जरिये वारिसान
2/1 श्रीमती लिछमीदेवी पत्नी रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी चक 29 डी.डब्ल्यू.डी. तहसील रावतसर
2/2 देवीलाल पुत्र रामजीलाल
2/3 श्रीमती विमला पुत्री रामजीलाल पत्नी सावंरमल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम साहबा तहसील तारानगर जिला चुरू
2/4 मोमनराम पुत्र रामजीलाल जाति ब्राहमण निवासी चक 29 डी. डब्ल्यू.डी
2/5 श्रीमती कमला पुत्री रामजीलाल पत्नी दुर्गाराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम साहबा तहसील तारानगर
3 रामगोपाल पुत्र हरसुखराम (फौत) जरिये वारिसान
3/1 श्रीमती सोनादेवी पत्नी रामगोपाल
3/2 हनुमानप्रसाद पुत्र रामगोपाल
3/3 ओम प्रकाश पुत्र रामगोपाल
3/4 नन्द किशोर पुत्र रामगोपाल सभी जाति ब्राहमण निवासी चक 29 डी.डब्ल्यू.डी.
3/5 श्रीमती संतोष पुत्री रामगोपाल पत्नी मनीराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लडाणा तहसील सूरतगढ
3/6 श्रीमती कमला पुत्री रामगोपाल पत्नी देवीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लडाणा
3/7 श्रीमती चन्दो पुत्र रामगोपाल पत्नी राधेश्याम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम थिराना तहसील नोहर
3/8 श्रीमती सलोचना पुत्री रामगोपाल पत्नी देवीलाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम साहबा तहसील तारानगर
4 मनीराम पुत्र हरसुखराम (मृतक) के वारिसान
4/1 शान्तीदेवी बेवा मनीराम

4/2 बनवारीलाल पुत्र मनीराम
4/3 प्रवीण पुत्र मनीराम
4/4 कान्ता पुत्री मनीराम
4/5 मनीषा पुत्री मनीराम सभी जाति ब्राहमण निवासी रावतसर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ

प्रत्यर्थीगण

एकल पीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य

उपस्थितः श्री एस.एन.सोलंकी उप राजकीय अभिभाषक
श्री अभिषेक शर्मा वकील प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः.19.6.2018

यह अपील धारा 23(2)ए राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में नया सीलिंग कानून) के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर, नोहर द्वारा प्रकरण संख्या 9/01 में पारित निर्णय दिनांक 26.12.02 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, नोहर ने वर्तमान प्रत्यर्थीगण के विरूद्व नये सीलिंग कानून के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ कर अप्रार्थीगण/प्रत्यर्थीगण के धारण में 163.7 बीघा कमाण्ड व 34.3 बीघा अनकमाण्ड भूमि मानते हुए निर्णय दिनांक 26.9.2000 से सीलिंग कार्यवाही समाप्त कर दी। इसके विरूद्व राज्य सरकार द्वारा अपर जिला कलक्टर, नोहर के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निर्णय दिनांक 26.12. 2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण द्वारा 163.7 बीघा कमाण्ड व 34.3 बीघा अनकमाण्ड भूमि ही धारित किया जाना मानकर निर्णय दिया है जबकि घोषणा पत्र में 178 बीघा कमाण्ड भूमि होना बताया गया है। रामजीलाल प्रत्यर्थी के पास 23 बीघा कमाण्ड भूमि चक 23 डी.डब्ल्यू.डी. में थी जिसे शामिल नहीं किया गया है। प्रत्यर्थीगण द्वारा धारित भूमि की जांच किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो अनुचित होकर निरस्त योग्य है। प्रत्यर्थीगण असेसीगण के परिवार

में कितने सदस्य थे एवं अतिरिक्त इकाई के लिए कौन सक्षम था इसकी जांच नहीं की गई है। अतः यह अपील स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अपनी बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने सभी तथ्यों एवं प्रत्यर्थीगण द्वारा धारित भूमि की पूर्ण जांच कराकर एवं परिवार के सदस्यों की संख्या तथा बालिग व्यक्तियों की संख्या की पूर्ण जांच कर ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। यह अपील निराधार आधारों पर केवल मात्र प्रत्यर्थीगण को परेशान करने की नियत से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने दोनों पक्षो के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्राधिकृत अधिकारी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर ने प्रकरण में पूर्व से उपनिवेशन रा.न.प. रावतसर की रिपोर्ट उपलब्ध होने के बावजूद भी तहसीलदार, रावतसर से पुनः रिपोर्ट मांगी है एवं असेसी अप्रार्थीगण वर्तमान प्रत्यर्थीगण के धारण में कुल 163.07 बीघा कमाण्ड एवं 34.03 बीघा अनकमाण्ड भूमि होना माना है तथा तहसीलदार, रावतसर की रिपोर्ट के अनुसार असेसी निर्धारित तिथि को चार परिवार थे जिनमें अतिरिक्त इकाईयां भी है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने चारों प्रत्यर्थीगण को पृथक पृथक इकाई माना है एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के परिवार में एक एक बालिग पुत्र होना माना है। अपीलार्थीगण द्वारा इसके विपरीत कोई ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे अधीनस्थ न्यायालयों का निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण होना साबित हो सके। रामजीलाल द्वारा चक 23 डी.डब्ल्यू.डी. में धारित भूमि को अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा असेसी द्वारा धारित भूमि की गणना में शामिल किया गया है। ऐसी स्थिति में हम इस अपील में कोई सार नहीं पाते हैं एवं खारिज करना उचित समझते हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार यह अपील खारिज की जाती है एवं अपर जिला कलक्टर, नोहर का निर्णय दिनांक 26.12.2002 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोडूदान देथा)
सदस्य